न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूँगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 21/2020 दायर दिनांक 18.12.2020
जीसीएमएस नं. 2020/00032 निर्णय दिनांक 26.08.2025

1. श्री संजय पिता नारायण मनात जाति आदिवासी निवासी धामोद तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर

– अपीलाण्ट

बनाम

1. श्री भंवरलाल पिता थावरा वरहात जाति आदिवासी
2. श्रीमति लसु पत्नि भंवरलाल वरहात जाति आदिवासी
निवासीयान धामोद तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर
3. भूमिधारी तहसीलदार बिछीवाडा।

– रेस्पोडेण्ट्स

अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970

उपस्थित – 1.श्री प्रवीण शुक्ला – अपीलाण्ट अधिवक्ता
2. श्री दिनेश चौबीसा – रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता 1 व 2

–:निर्णयः– दिनांक –26.08.2025

1. अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राज.भू.राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन)नियम,1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत पेश किया है। अपील प्रार्थना का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि प्रार्थी का मौजा धामोद के खसरा संख्या 413 के 2 बीघा भूमि पर अपने पिता के जीवनकाल से लगभग 50 वर्षो से लगातार कब्जा काश्त रहा है। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प मालमाथा में जरिये मिसल

रीडर
कार्या.अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

नंबर 1390 / 2006 के दिनांक 06.01.2006 को आवंटन करा लिया है तथा आवंटन के पश्चात् नया नंबर 1857 / 413 रकबा 2 बीघा पडा है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का विगत 50 वर्षो से भी अधिक समय से लगातार निर्बाध कब्जा काश्त चला आ रहा है उक्त भूमि आवंटन के योग्य नहीं थी उक्त भूमि के पास ही प्रार्थी के पिता के नाम से खातेदारी जमीन है खातेदारी जमीन को इस जमीन से मिलाते हुए प्रार्थी व उसके पिता खेती करते आ रहे है। उक्त भूमि Vacant Land की श्रेणी में नहीं आती है इसके बावजुद भी Vacant Land मानते हुए Fraud कर आवंटन करा लिया है। पटवारी की रिपोर्ट में वादग्रस्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 से 3 किमी की दूरी होना बताई है, जबकि उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 1 किमी के अन्दर आती है माननीय सम्भागीय आयुक्त के पत्र दिनांक 24.10.2013 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग से एक किमी के अन्दर किसी भी व्यक्ति या काश्तकार को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नही हो सकता है, परंतु विपक्षीगण द्वारा पटवारी से मिल कर फ्रोड कर आवंटित भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग से 3 किमी की दूरी पर होना बताकर आवंटन करा लिया है। इस प्रकार फ्रोड लेण्ड तरीके से आवंटन कराई गई है भूमि का आवंटन निरस्त किए जाने योग्य है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को जरिए मिसल नम्बर 1390 / 2006 के केम्प मालमाथा मे दिनांक 06.02.2006 को मौजा धामोद के खसरा नंबर 413 मे से 2 बीघा का आवंटन करने से नया नंबर 1857 / 413 पडा है का आवंटन निरस्त किए जाने आदेश फरमावे।

2. उपरोक्त अपील प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट कि तलबी जरिये सम्मन जारी कर की गई। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश चौबीसा द्वारा वकालत नामा व जवाब दावा पेश किया ।

3. रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि विपक्षीगण का आवंटन पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया अपनाकर नियमानुसार किया गया है। आवंटन के उपरांत नया खसरा नंबर 1857 / 413 पडा है। विपक्षी का करीब 100 वर्ष का कब्जा उसके पिता के जरिये चला आ रहा था। विपक्षी को आवंटन किये गये खेत पर विपक्षी के पिता का कब्जा स्टेट टाईम से बना हुवा था। वर्तमान में भी विपक्षीगण का कब्जा काश्त बना हुआ है। इस भूमि के पास ही विपक्षी के परिवार के लोगों के मकान भी बने हुये है। जिसमें विपक्षीगण का तथा उसके पुत्र श्री नरेश का मकान बना हुवा है। जिसमें वे परिवार सहित निवास कर रहे है। विपक्षीगण इस भूमि पर खरीफ एवं रबी दोनों फसलों में पैदावार कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। प्रार्थी का विपक्षी को आवंटित करायी गयी भूमि पर किसी भी तरह से कब्जा नहीं है। खसरा संख्या 413 भूमि बहुत बडा खसरा था, उसके किसी भाग पर उसका कब्जा हो तो प्रार्थी साक्ष्य से प्रमाणित करावे। विपक्षीगण को आवंटित की गयी भूमि पर विपक्षी के पूर्व

रीडर
कार्या.अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

उसके पिता का कब्जा बना हुवा था। प्रार्थी ने जिस तरह से अपने कब्जे का वर्णन किया है उसे स्वीकार भी कर लिया जावे तो भी प्रार्थी का कब्जा अतिक्रमी के रूप मे ही हो सकता है। न्यायिक व्याख्या में अतिक्रमी के कब्जे वाली भूमि को आवंटन के लिये वेकेण्ट लेण्ड मानी जाती है। विपक्षीगण को आवंटन किया गया उस समय गांव के अन्य व्यक्तियों को भी आवंटन किया गया है। विपक्षीगण को मजमेआम में आवंटन किया गया है। विपक्षीगण का आवंटन पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया अपना कर किया गया है।

अतएव जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का अपील प्रार्थना पत्र निरस्त फरमावे।

4. **हमने अपील प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सूनी।**

5 अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में जवाब के कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी का मौजा धामोद के खसरा संख्या 413 के 2 बीघा भूमि पर अपने पिता के जीवनकाल से लगभग 50 वर्षो से लगातार कब्जा काश्त रहा है। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प मालमाथा में जरिये मिसल नंबर 1390/2006 के दिनांक 06.01.2006 को आवंटन करा लिया है तथा आवंटन के पश्चात् नया नंबर 1857/413 रकबा 2 बीघा पडा है। उक्त भूमि Vacant Land की श्रेणी में नहीं आती है इसके बावजुद भी Vacant Land मानते हुए Fraud कर आवंटन करा लिया है। पटवारी की रिपोर्ट में वादग्रस्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 से 3 किमी की दूरी होना बताई है, जबकि उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 1 किमी के अन्दर आती है। विपक्षीगण द्वारा पटवारी से मिल कर फ्रोड कर आवंटित भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग से 3 किमी की दूरी पर होना बताकर आवंटन करा लिया है। इस प्रकार फ्रोड तरीके से भूमि आवंटन कराई गई है। भूमि का आवंटन निरस्त किए जाने योग्य है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण का आवंटन निरस्त किए जाने आदेश फरमावे।

6. रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में जवाब के कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षीगण का आवंटन नियमानुसार किया गया है। आवंटन के उपरांत नया खसरा नंबर 1857/413 पडा है। अब भी विपक्षीगण का कब्जा काश्त बना हुआ है। इस भूमि के पास ही विपक्षी के परिवार के लोगों के मकान भी बने हुये है। जिसमें विपक्षीगण का तथा उसके पुत्र श्री नरेश का मकान बना हुआ है। जिसमें वे परिवार सहित निवास कर रहे है। विपक्षीगण इस भूमि पर खरीफ एवं रवी दोनों फसलों में पैदावार कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। प्रार्थी का विपक्षी को आवंटित करायी गयी भूमि पर किसी भी तरह से कब्जा नहीं है। खसरा संख्या 413 भूमि वहुत वडा खसरा था, उसके किसी भाग पर उसका कब्जा हो तो

रीडर
कार्या.अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूगरपुर

प्रार्थी साक्ष्य से प्रमाणित करावे। विपक्षीगण को आवंटित की गयी भूमि पर विपक्षी के पूर्व उसके पिता का कब्जा बना हुवा था। प्रार्थी ने जिस तरह से अपने कब्जे का वर्णन किया है उसे स्वीकार भी कर लिया जावे तो भी प्रार्थी का कब्जा अतिक्रमी के रूप मे ही हो सकता है। न्यायिक व्याख्या में अतिक्रमी के कब्जे वाली भूमि को आवंटन के लिये वेकेण्ट लेण्ड मानी जाती है। विपक्षीगण को आवंटन किया गया उस समय गांव के अन्य व्यक्तियों को भी आवंटन किया गया है। विपक्षीगण को मजमे आम में आवंटन किया गया है। विपक्षीगण का आवंटन पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया अपना कर किया गया है।

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का अपील प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें।

7. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी मौजा धामोद के खसरा न. 413 रकबा 2 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 06.01.2006 को उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा के मिसल संख्या 1390 / 2006 दिनांक 06.01.2006 के द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान केम्प मालामाथा में रेस्पोडेण्ट सं. 1 व 2 को आवंटित हुई। वर्तमान जमांबन्दी अनुसार आवंटी को गैर खातेदारी से खातेदार हक प्राप्त हो चुका है।

अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी पर स्वयं का कब्जा होना, विपक्षीगण का कब्जा काश्त नहीं होना, अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि का विपक्षीगण द्वारा **Fraud** कर आवंटन कराना अंकित किया है। अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 से लगभग 1 किमी के अन्दर होना बता कर आवंटन को गलत बताया है। अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी पर स्वंय कब्जा काश्त सम्बन्धित कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त भूमि पर वर्तमान में आवंटी का कब्जा काश्त है। तहसीलदार की रिपोर्ट में आवंटित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के मध्य बिन्दु से 504 मीटर की दुरी पर है। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 4(V–च) के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के केन्द्र से 45 मीटर की दुरी तक की भूमि को आवंटन के लिए अनुउपलब्ध भूमि की श्रेणी में रखा गया है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त भूमि सडक के मध्य से 504 मीटर की दुरी पर स्थित है। इसी प्रकार अपीलाण्ट द्वारा आवंटन को **fraud** होना बताया है जबकि नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 अन्तर्गत ऐसा आवंटन जो कपट अथवा मिथ्याव्यपदेशन के द्वारा कराया हो या नियम विरूद्ध किया गया हो या आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की हो तो इस प्रकार के आवंटन को नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 अन्तर्गत खारिज किया जा

रीडर
कार्या.अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

सकता है। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा इस प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर आवंटन **fraud** होना साबित होता हो।

आवंटन वर्ष 2006 का है, जिसको लगभग 19 वर्ष हो चुके है। आवंटी द्वारा आवंटन के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति थी तो आवंटन के समय प्रस्तुत करनी थी। अब आवंटी को खातेदारी हक प्राप्त होने के पश्चात यह अपील प्रस्तुत करना न्यायसंगत नहीं है। साथ ही अपीलाण्ट की ओर से अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में एवं बहस में दी गयी दलीलों की पुष्टि में ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिसके आधार पर अपीलाण्ट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त और **Fraud** कर आवंटन होना साबित होता हो। अपीलाण्ट की ओर से बिना किसी आधार के यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 बिना किसी आधार पर पेश करने से अस्वीकार करते हुए खारिज किया जाता है एवं आवंटन दिनांक 06.01.2006 को प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प मालमाथा में मिसल संख्या 1390 / 2006 दिनांक 06.01.2006 के द्वारा रेस्पोडेण्ट सं. 1 व 2 को आवंटित आराजी खसरा नम्बर 413 रकबा 2 बीघा (नया नम्बर 1854 / 413 रकबा 2 बीघा) भूमि आवंटन आदेश को यथावत बहाल रखने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 26.08.25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

(दिनेश धाकड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर